डॉ0 प्रभात कुमार, कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सोसायटी की शासी निकाय की बैठक दिनांक 23.10.2018 का कार्यवृत्त।

आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग
उत्तर प्रदेश
27 NOV 2018

उपस्थितिः—

सर्वश्री—

1. डॉ0 प्रभात कुमार, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. श्री अनुराग श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
3. श्री नागेन्द्र प्रसाद सिंह, आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
4. श्री0 प्रांजल यादव, मिशन निदेशक, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन, उ0प्र0।
5. श्री मासूम अली सरवर, निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
6. श्री0 यशु रूस्तगी, विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0।
7. श्री रवीश गुप्ता, विशेष सचिव, एम0एस0एम0ई0, उ0प्र0।
8. श्री0 सोराज सिंह, निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0।
9. श्री शत्रुघ्न सिंह, निदेशक, आई0सी0डी0एस0, उ0प्र0।
10. डॉ0 चरण सिंह यादव, निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
11. श्री0 पी0सी0 उपाध्याय, अपर मिशन निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
12. डॉ0 डी0सी0 उपाध्याय, अपर निदेशक, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
13. श्री आर0 शंकर नारायण, उप महाप्रबन्धक, नाबार्ड, उ0प्र0।
14. श्री आर0सी0 बेहेरा, सहायक महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी, उ0प्र0।
15. ममता चौहान, फैकल्टी, आई0ई0डी0यू0पी0।

<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>एजेण्डा</th><th>प्रस्ताव</th><th>निर्णय</th></tr>
<tr><td>1</td><td>उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की गत शासी निकाय की बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।</td><td>राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्वयन हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की शासी निकाय की गत आहुत बैठक दिनांक 04.12.2017 का कार्यवृत्त कार्यालय के पत्र क्रमांक 59/1052/आजीविका/2017—18 लखनऊ, दिनांक 11.01.2018 द्वारा सदस्यों को प्रेषित किया गया था। प्रेषित कार्यवृत्त पर किसी सदस्य की कोई आपत्ति/टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। अतः कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रस्तावित है।</td><td>समिति द्वारा कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>गत बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालन आख्या का अनुमोदन।</td><td><table>
<tr><th>एजेण्डा बिन्दु संख्या</th><th>निर्णय</th><th>परिपालन की स्थिति</th></tr>
<tr><td>6 एवं 8</td><td>शासनादेश संख्याः— पत्रांक— 665/ 38—6—15—19 एस0आर0एल0एम0/2014 दिनांक 06 जुलाई, 2015 के द्वारा मानव संसाधन नियमावली एवं पत्रांकः— 1085/ 38—6—15—32 (एसजीएसवाई)/2010 दिनांक 10.10.2015 द्वारा वित्त नियमावली को मिशन में लागू करने का अनुमोदन शासन द्वारा निर्गत किया जा चुका है। साथ ही यह</td><td>उक्त बैठक के एजेण्डा बिन्दु 06 एवं 08 के अनुपालन में एच0आर0 एजेन्सी के चयन हेतु ई0ओ0आई0 एवं आर0एफ0पी0 डाक्यूमेंन्ट तैयार कर एन0एम0एम0यू0 से एन0ओ0सी0 प्राप्त करते हुए दिनांक 04 मई, 2018 को ई0ओ0आई0 में</td></tr>
</table></td><td>समिति अनुपालन से अवगत हुई। 13वीं शासी निकाय की बैठक के एजेण्डा 6 एवं 8 के अनुपालन के क्रम में समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अन्तर्गत रोजगार के अवसर प्रथमतः स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं (जो शैक्षिक अर्हता रखती हो) को</td></tr>
</table>

क्र0 सं0	एजेण्डा		प्रस्ताव		निर्णय
			भी उल्लेखनीय है कि शासी निकाय की प्रथम बैठक दिनांक 23.01.2012 को प्रोक्योरमेंट नियमावली (Procurement Manual), 11वीं बैठक दिनांक 18.02.2016 को वित्त नियमावली एवं 12वीं बैठक दिनांक 08 नवम्बर, 2016 को मानव संसाधन नियमावली का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। अनुमोदित मानव संसाधन नियमावली, वित्त नियमावली एवं प्रोक्योरमेंट नियमावली के अन्तर्गत उक्त प्रोफेशनल्स की सेवायें लिये जाने हेतु शासी निकाय समिति द्वारा प्रस्ताव पर इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि:– • प्रोफेशनल्स की तैनाती प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार ही की जाये तथा प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना में वांछित मानव संसाधन का अनुमोदन चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक प्राप्त कर लिया जाये। • प्रोफेशनल्स की सेवायें लिये जाने हेतु HR Recruitment Agency एवं Pay Roll Management हेतु HR Management Agency का चयन 03 वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा। • मानव संसाधन की चयन प्रकिया के दौरान अभ्यर्थी से यह शपथपत्र लिया जाये कि मिशन या सम्बन्धित एजेन्सी में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी का अभ्यर्थी से आपस में कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि भविष्य में ऐसा पाया जाता है तो एजेन्सी को ब्लैकलिस्ट करते हुए सम्बन्धित अभ्यर्थी को सेवा से विरत कर दिया जायेगा। • मानव संसाधन के रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से की जाये।	चयनित शीर्ष 06 एजेन्सियों को आर0एफ0पी0 जारी की गयी। उक्त के क्रम में एच0आर0 एजेन्सी का चयन कर लिया गया है एवं एच0आर0 एजेन्सी के साथ दिनॉक 01.08.2018 को अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जा चुका है। प्रोफेशनल्स के रिक्रूटमेन्ट का कार्य माह दिसम्बर 2018 के प्रथम सप्ताह तक पूर्ण कर लिया जायेगा। रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा चयनित प्रोफेशनल के पे–रोल मैनेजमेंट हेतु हयूमन रिर्सोस मैनेजमेट एजेंसी (HRMA) के चयन हेतु Bid Document तैयार कर भारत सरकार को NOC हेतु प्रेषित किया जा चुका है। भारत सरकार से NOC प्राप्त होने के उपरान्त HRMA का चयन किया जायेगा। 1- <u>महिला किसान सशक्तीकरण परियोजनान्तर्गत यंग प्रोफेशनल्स का चयनः–</u> महिला किसान सशक्तीकरण परियोजनान्तर्गत 58 यंग प्रोफेशनल्स का चयन प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन विश्वविद्यालयों (1- Banaras Hindu University (Institute of Agricultural Sciences) Varanasi, 2- Pandit Deendayal Upadhyay Pashu Chikitsa Vigyan	प्राथमिकता पर उपलब्ध कराये जाये।

क्र0 सं0	एजेण्डा	प्रस्ताव			निर्णय
			• मिशन यह सुनिश्चित करें कि वार्षिक कार्ययोजना में मानव संसाधन हेतु वर्णित धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाये। जब शासी निकाय एवं शासन से मानव संसाधन नियमावली अनुमोदित नहीं थी, तब शासनादेशों के माध्यम से पद सृजित कराकर कार्मिकों की व्यवस्था करायी जाती थी। किन्तु अब जब कि मानव संसाधन नियमावली विधिवत् स्वीकृत होकर प्रचलन में है तब मिशन को प्रत्येक वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना (Annual Action Plan) के अनुसार मिशन में आवश्यक मानव संसाधन के पदों को मिशन में लागू मानव संसाधन नियमावली के अन्तर्गत उसी वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक प्रोफेशनल्स की सेवायें लिये जाने हेतु अधिकृत किया गया। जिन पदों की आवश्यकता न हो उन्हें वार्षिक कार्ययोजना में न रखा जाये तथा कोई भी Liabilities अगले वित्तीय वर्ष हेतु Spill over न की जाये।	Vishwavidyalya, Mathura, 3- Chandra Shekhar Azad University of Agriculture & Technology, Kanpur) से कैम्पस प्लेसमेन्ट के माध्यम से किया गया है। **डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की सेवायें लिये जाने के सम्बन्ध में:**—समस्त इन्टेन्सिव विकासखण्डों एवं जनपदों हेतु डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की सेवायें एन0एम0एम0यू0 से विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा इम्पेनल्ड एजेन्सी अपट्रान एवं श्रीट्रॉन के माध्यम से लिये जाने हेतु कार्य आदेश निर्गत किया गया है। उक्त दोनों एजेन्सियों द्वारा डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की नियुक्तियॉ समस्त इन्टेन्सिव जनपदों एवं विकास खण्ड स्तरों पर पूर्ण कर ली गयी है।	
		7	समस्त इन्टेन्सिव जनपदों में योजना के बेहतर संचालन हेतु जिला परियोजना समन्वय समिति के गठन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।	गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अन्तर्गत चयनित 35 इन्टेन्सिव जनपदों में से 32 इन्टेन्सिव जनपदों में जिला परियोजना समन्वय समिति का गठन कर लिया गया है, गत वित्तीय वर्ष के 03 जनपदों (फतेहपुर, मैनपुरी एवं बागपत) एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 में इन्टेन्सिव जनपदों की श्रेणी में शामिल किये गये 04 नये जनपदों यथा–सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, प्रतापगढ़ एवं श्रावस्ती में माह नवम्बर	

क्र0 सं0	एजेण्डा	प्रस्ताव			निर्णय
				2018 तक जिला परियोजना समन्वय समिति का गठन कर लिया जायेगा।	
		9	उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी/मिशन निदेशक को यू0पी0एस0आर0एल0एम0 की प्रबन्धकार्यकारिणी समिति (शासी निकाय) का सदस्य बनाये जाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।	उक्त के परिपालन में कार्यालय के पत्र क्रमांकः— 226/1044 दिनांक 08 फरवरी, 2018 द्वारा मिशन निदेशक के माध्यम से दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास मिशन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी/मिशन निदेशक को यू0पी0एस0आर0 एल0एम0 की प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।	
		11	प्रदेश में कार्यरत बैंकों के साथ एम.ओ.यू. किये जाने हेतु समिति द्वारा इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि एम0ओ0यू0 से मिशन के ऊपर किसी प्रकार की लाइबिलिटी ना आये।	उक्त के परिपालन में समस्त 18 बैंकों को भारत सरकार द्वारा प्रेषित बैंकों के साथ किये जाने वाले एम0ओ0यू0 का प्रारुप सहमति हेतु प्रेषित कर दिया गया है, जिसके सापेक्ष दिनांक 01.8.2018 तक कुल 06 बैंकों की एम0ओ0यू0 के प्रारुप पर सहमति प्राप्त हुई है, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं बैंक ऑफ इण्डिया के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कर लिया गया है, तथा शेष बैंकों से एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किये जाने हेतु समन्वय किया जा रहा है।	
3	उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की अब तक की प्रगति का प्रस्तुतीकरण।	बैठक के दौरान पावर पाइन्ट के माध्यम से प्रस्तुतीकरण किया जायेगा।			समिति अनुपालन से अवगत हुई।

<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>एजेण्डा</th><th>प्रस्ताव</th><th>निर्णय</th></tr>
<tr><td>4</td><td>भारत सरकार द्वारा मिशन की अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना 2018–19 का अवलोकन एवं अनुमोदन।</td><td>भारत सरकार के पत्र क्रमांकः–J-11060/01/2016-RL दिनांक 09 जनवरी, 2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 की वार्षिक कार्ययोजना बनाये जाने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश भेजे गये थे तथा उक्त के क्रम में दिनांक 17 जनवरी से 20 जनवरी, 2018 तक एन0एम0एम0यू0 द्वारा एन0आई0आर0डी0, हैदराबाद में राइटशॉप का आयोजन भी किया गया था, जिसमें मुख्यालय में कार्यरत प्रोफेशनल्स द्वारा प्रतिभाग किया गया। भारत सरकार द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांकः–G-20011/09/2017-RL दिनांकः– 05 फरवरी, 2018 द्वारा उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु रु0 845 करोड़ का अनुमानित बजट निर्धारित किया गया है। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि उक्त बजट के सापेक्ष लगभग 150 प्रतिशत की कार्ययोजना तैयार की जाये।
उक्त के क्रम में एस0आर0एल0एम0 की राज्य इकाई द्वारा जनपदों से विचार विमर्श कर वित्तीय वर्ष 2018–19 की वार्षिक कार्ययोजना तैयार की गयी है, जो कि संलग्न है। प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में रु0 900 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। मिशन द्वारा रु0 1165 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना बनायी गयी है। भारत सरकार स्तर पर दिनांक 22 मार्च, 2018 को आयोजित इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में कुल रु0 1165 करोड़ की कार्ययोजना स्वीकृत की गयी है। वार्षिक कार्ययोजना के उल्लेखनीय तथ्य इस प्रकार हैंः–
• नीति आयोग द्वारा प्रदेश के 08 जनपदों को एस्पीरेशनल जनपद के रूप में चिन्हित किया गया है। चिन्हित जनपदों में से 05 जनपदों यथा–बहराइच, सोनभद्र, चित्रकूट, फतेहपुर एवं चन्दौली में पूर्व से इन्टेन्सिव रूप से कार्य किया जा रहा था। वित्तीय वर्ष 2018–19 में 03 नये एस्पीरेशनल जनपद यथा–बलरामपुर, श्रावस्ती एवं सिद्धार्थनगर को भी सम्मिलित कर लिया गया है।
• वित्तीय वर्ष 2018–19 में परियोजना का विस्तार 04 नये जनपदों क्रमशः बलरामपुर, प्रतापगढ़, श्रावस्ती एवं सिद्धार्थनगर में एवं 50 नये विकासखण्डों में किया जा रहा है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2018–19 में परियोजना कुल 39 जनपदों एवं 250 विकासखण्डों में क्रियान्वित होगी।
• मिशन अन्तर्गत इन्टेन्सिव विकास खण्डों के 1241 मिशन अन्त्योदय पंचायतों, 17 (SAGY) पंचायतें, 14 रर्बन कलस्टर में प्राथमिकता के आधार पर मिशन की गतिविधियाँ प्रारम्भ की गयी हैं। वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु वार्षिक कार्ययोजना के मुख्य घटक निम्नवत हैंः–
<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>मुख्य घटक</th><th>इकाई</th><th>वार्षिक लक्ष्य</th></tr>
<tr><td>1</td><td>समूह गठन</td><td>समूहों की संख्या</td><td>71214</td></tr>
<tr><td>2</td><td>ग्राम संगठन गठन</td><td>ग्राम संगठनों की संख्या</td><td>5449</td></tr>
<tr><td>3</td><td>संकुल स्तरीय संघ गठन</td><td>संकुल स्तरीय संघों की संख्या</td><td>200</td></tr>
<tr><td>4</td><td>रिवॉल्विंग फण्ड</td><td>समूहों की संख्या</td><td>56302</td></tr>
<tr><td>5</td><td>सामुदायिक निवेश निधि</td><td>समूहों की संख्या</td><td>38090</td></tr>
<tr><td>6</td><td>जोखिम निवारण निधि</td><td>ग्राम संगठन की संख्या</td><td>5054</td></tr>
<tr><td>7</td><td>बैंक लिंकेज</td><td>समूहों की संख्या</td><td>36998</td></tr>
<tr><td>8</td><td>ग्राम संगठन हेतु आजीविका निधि</td><td>ग्राम संगठन की संख्या</td><td>961</td></tr>
<tr><td>9</td><td>आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजनान्तर्गत</td><td>वाहन की संख्या</td><td>153</td></tr>
<tr><td>10</td><td>कुल बजट</td><td>रू0 (करोड़ में)</td><td>900</td></tr>
</table>
</td><td>समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 की वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी।</td></tr>
</table>

क्र0 सं0	एजेण्डा	प्रस्ताव	निर्णय
		प्रस्तावित है कि शासी निकाय मिशन की वित्तीय वर्ष 2018–19 की वार्षिक कार्ययोजना का अवलोकन कर स्वीकृति प्रदान करना चाहें।	
5	उत्तर प्रदेश, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की 13वीं शासी निकाय की बैठक के एजेंडा बिंदु संख्या 06 एवं 08 पर मानव संसाधन के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयों की अद्यतन स्थिति से शासी निकाय समिति को सूचनार्थ।		
	बिन्दु संख्या–5.1 मिशन अन्तर्गत राज्य स्तरीय, जनपद स्तरीय एवं विकासखण्ड स्तरीय स्टॉफ के चयन सम्बन्धी।	मिशन में राज्य स्तरीय, जनपद स्तरीय एवं विकासखण्ड स्तरीय स्टॉफ के चयन हेतु मानव संसाधन रिक्रूटमेंट एजेन्सी की चयन प्रक्रिया द्वारा SIDS India Pvt. Ltd. नई दिल्ली एजेंसी का चयन किया गया है एवं मिशन अन्तर्गत 1704 पदों (राज्य स्तर–11, जनपद स्तर–141 एवं विकासखण्ड स्तर–1552) पर रिक्रूटमेंट करने हेतु संस्था को आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके क्रम में दिनांक 11 अगस्त, 2018 को उक्त पदों हेतु विज्ञापन जारी कर दिनांक 31.08.2018 तक आवेदन आमंत्रित किये गयें, उक्त रिक्रूटमेंन्ट हेतु लिखित परीक्षा 14.10.2018 को सम्पन्न करायी गयी। रिक्रूटमेंट प्रक्रिया माह दिसम्बर के प्रथम सप्ताह तक पूर्ण कर ली जायेगी। शासी निकाय समिति को सादर सूचनार्थ।	समिति अवगत हुई।
	बिन्दु संख्या–5.2 मिशन अन्तर्गत पूर्व में ए0एफ0सी0 संस्था द्वारा राज्य स्तरीय, जनपद स्तरीय एवं विकासखण्ड स्तरीय पदों पर कार्मिकों के रिक्रूटमेंट की अद्यतन स्थिति शासी निकाय को सूचनार्थ ।	ए0एफ0सी0 संस्था द्वारा राज्य स्तरीय, जनपद स्तरीय एवं विकासखण्ड स्तरीय पदों (255 पद) पर कार्मिकों के रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, सभी चयनित अभ्यार्थियों को वर्तमान में मिशन में सेवायें उपलब्ध करा रही हयूमन रिर्सोस मैनेजमेट एजेंसी के माध्यम से ऑफर लेटर जारी कर अधिकतम 30.10.2018 तक योगदान देने हेतु निर्देशित किया गया।	समिति अवगत हुई।

क्र0 सं0	एजेण्डा	प्रस्ताव	निर्णय
	बिन्दु संख्या–5.3 महिला किसान सशक्तीकरण परियोजनान्तर्गत यंग प्रोफोशनल्स का चयन की प्रक्रिया से शासी निकाय को अवगत कराने विषयक।	महिला किसान सशक्तीकरण परियोजनान्तर्गत 58 यंग प्रोफेशनल्स का चयन प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन विश्वविद्यालयों (1-Banaras Hindu University (Institute of Agricultural Sciences) Varanasi, 2- Pandit Deendayal Upadhyay Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalya, Mathura, 3- Chandra Shekhar Azad University of Agriculture & Technology, Kanpur) से कैम्पस प्लेसमेन्ट के माध्यम से किया गया है।	समिति अवगत हुई।
	बिन्दु संख्या–5.4– आउटसोर्सिगं के माध्यम से इन्टेन्सिव जनपदों एवं विकास खण्डों में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की सेवायें लिये जाने के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही सूचनार्थ।	मिशन अन्तर्गत 39 इन्टेन्सिव जनपदों एवं 250 इन्टेन्सिव विकास खण्डों हेतु प्रति जनपद एक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं प्रति विकास खण्ड 02 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की सेवायें लिया जाना अनुमन्य है। उक्त के सापेक्ष मिशन में 145 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर पूर्व सें कार्यरत है, शेष 394 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की सेवायें शासनादेश संख्या 3/2018/53/78–2–2018/135 आई0टी0/2017 के माध्यम से शासन द्वारा अधिकृत एजेंसी ॲपट्रान पावरट्रानिक्स लि0 एवं श्रीट्रान इण्डिया लि0 के माध्यम से समस्त इन्टेन्सिव जनपदों एवं विकास खण्डों में पदस्थ कर दिया गया है। शासी निकाय समिति कों सूचनार्थ।	समिति अवगत हुई।
	बिन्दु संख्या–5.5 मिशन अन्तर्गत जनपद एवं विकासखण्ड स्तर पर कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरों का मानदेय निर्धारित किये जाने सम्बन्धी अनुमोदन।	शासी निकाय की समिति को अवगत कराना है कि मिशन अन्तर्गत जनपद एवं विकासखण्ड स्तर पर कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यरत है। जनपद स्तर एवं विकास खण्ड स्तर पर कम्प्यूटर ऑपरेटरों की शैक्षिक अर्हता समान है। पूर्व में समिति द्वारा अनुमोदित मानव संसाधन नियमावली अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर के कम्प्यूटर ऑपरेटरों का मानदेय जनपद पर कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटरों की तुलना में कम हो गया था। समिति को अवगत कराना है कि जनपद स्तरीय एवं विकास खण्ड स्तरीय दोनो ही कम्प्यूटर ऑपरेटरों की शैक्षिक अर्हता एवं कार्य समान है। जबकि विकास खण्ड स्तर पर डाटा एन्ट्री एवं एम0आई0एस0 का कार्य जनपद स्तर की तुलना में अधिक होता है। अतः प्रस्ताव है कि समान अर्हता, समान कार्य अन्तर्गत समान मानदेय कर दिया जाये एवं विकास खण्ड स्तरीय कम्प्यूटर ऑपरेटरों का मानदेय जनपद स्तरीय कम्प्यूटर ऑपरेटरों के समान कर दिया जाये।	समिति द्वारा सैद्धान्तिक अनुमोदन दिया गया साथ ही निर्देश दिये गये कि यदि पूर्व में मानव संसाधन नियमावली को वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त जारी किया गया है तो समान मानदेय करने के निर्णय पर भी वित्त विभाग की औपचारिक सहमति प्राप्त कर ली जाये।
6	शासी निकाय द्वारा पूर्व में अनुमोदित कम्युनिटी आपरेशनल मैनुअल (सी0ओ0एम0)	6–अ. आन्तरिक सी0आर0पी के मध्य से ही सीनियर सी0आर0पी0 का चयन अनुभव के अधार पर किया जायेगा। उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि मिशन ने लगभग 4000 आंन्तरिक सी0आर0पी0 का चयन कर प्रशिक्षण प्रदान कर दिया गया है। मिशन द्वारा तैयार आन्तरिक सी0आर0पी0 के मध्य से ही सीनियर सी0आर0पी0 का विकास किया जायेगा। इंटरनल सीनियर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन समुदाय की वो महिला होगी जो एन०आर०एल०एम कम्प्लायंट समूह एवं ग्राम संगठन की सदस्य होगी एवं	समिति द्वारा अनुमोदन करते हुये साथ ही यह निर्देश दिये गये कि Responsibility एवं परफारमेन्स इंडीकेटर्स को कम करते हुये मुख्य

क्र0 सं0	एजेण्डा	प्रस्ताव	निर्णय
	में वर्णित आन्तरिक सीनियर सामुदायिक संदर्भ व्यक्ति एंव आन्तरिक प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन नीति को मिशन स्तर पर लागू किये जाने हेतु अनुमोदन।	उसे अपने समूह एवं ग्राम संगठन में रहकर अपनी निर्धनता से बहार निकलने, ग्राम संगठन एवं उन के उप समितियों के गठन, प्रबंधन, प्रशिक्षण का पर्याप्त अनुभव होता है। वह अपने अनुभवों को दूसरों समूहों के सदस्यों के साथ साझा करते हुए नये ग्राम संगठन के गठन करने का कार्य अपने ग्राम या दुसरे ग्रामो में करेंगी। इंटरनल सीनियर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन की सेवाएँ शुल्क आधरित होगी। वर्तमान में ग्राम संगठन के गठन हेतु बाह्य सीनियर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन से सेवायें प्राप्त की जा रही है, जो कि बिहार, तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश राज्यों से आती है एवं उनकी सेवा शुल्क अधिक होती है एवं उनकी उपलब्धता भी अनिश्चित होती है। इंटरनल सीनियर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन की पात्रता, चयन, सेवा शुल्क आदि के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में प्रेषित अपडेटेड कम्युनिटी ऑपरेशनल मैन्युअल (COM) में निर्देश प्राप्त है एवं 12वीं शासी निकाय द्वारा अनुमोदित कम्यूनिटी ऑपरेशनल मैनुअल में भी आन्तरिक सीनियर सामुदायिक संदर्भ व्यक्ति (Sr. ICRP) के पात्रता, चयन, सेवा शुल्क आदि के आधार पर यह नीति तैयार की गयी है। साथ ही इस नीति को 12वीं शासी निकाय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिस पर शासी निकाय द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि भविष्य में आवश्यक्ता पड़ने पर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 की वार्षिक कार्योजना में 1500 आन्तरिक सीनियर सामुदायिक संदर्भ व्यक्ति (Sr. ICRP) का चयन करते हुये प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना बनायी गयी है एवं इनके माध्यम से प्रदेश के विभिन्न इन्टेन्सिव जनपदों के विकास खण्डों में ग्राम संगठन का गठन किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त के क्रम में आन्तरिक सीनियर सामुदायिक संदर्भ व्यक्ति (Sr. ICRP) को दिया जाने वाला सेवा शुल्क एवं अन्य भुगतान का विवरण निम्नवत है– <table><tr><th>आन्तरिक सीनियर सी0आर0पी0 का वर्गीकरण</th><th>संसाधन शुल्क</th><th>भोजन भत्ता</th><th>यात्रा लागत</th><th>स्थानीय यात्रा भत्ता</th><th>बीमा बीमा ए बी</th></tr><tr><td>आन्तरिक विकासखण्ड</td><td>300रू/ सदस्य / दिन</td><td>100रू/ सदस्य /दिन</td><td>वास्तविक लागत के अनुसार</td><td>300रू/सदस्य /चरण</td><td rowspan="3">500रू/ /</td></tr><tr><td>अंतर विकासखण्ड</td><td>300रू/ सदस्य /दिन</td><td>150रू/ सदस्य /दिन</td><td>वास्तविक लागत के अनुसार</td><td>300रू/सदस्य /चरण</td></tr><tr><td>अंतर जनपद</td><td>400रू/ सदस्य /दिन</td><td>200रू/ सदस्य /दिन</td><td>वास्तविक लागत के अनुसार</td><td>500रू/सदस्य /चरण</td></tr></table>उल्लेखनीय है कि इंटरनल सीनियर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन पूर्णतः अपने ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ के कॉडर होगें एवं इनका मिशन से किसी भी प्रकार का शासकीय एवं अर्धशासकीय सम्बन्ध नही होगा और न ही किसी भी परिस्थिति में यह मिशन के स्टाफ कहलायेगें। **6–ब.** आन्तरिक प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन/आन्तरिक पेशेवर संदर्भ व्यक्ति (IPRP) मिशन के अन्तर्गत कार्यरत स्वंय सहायता समूह के ऐसे सदस्य जिन्हें उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के समूहों, ग्राम संगठन एवं उनके ऊपर के स्तर के संघो के साथ कार्य करने का अनुभव हो। आन्तरिक पेशेवर सन्दर्भ व्यक्ति (IPRP) में संप्रेषण, प्रशिक्षण, सहभागी कौशल, सहजीकरण प्रक्रिया, समूह एवं संघ नियोजन, खाता लेखन, ऑडिट का व्यवाहरिक ज्ञान होना आवश्यक है एवं उन्हें अपने गृह जनपद/विकास खण्ड से दुसरे जनपद/विकास खण्ड में लम्बी अवधि के लिए रुक कर संकुल स्तर पर काम करना होता है। आन्तरिक पेशेवर सन्दर्भ व्यक्ति (IPRP) को	संकेतक (अधिकतम 5) पर ही मुल्याकंन किया जायें।

क्र0 सं0	एजेण्डा	प्रस्ताव	निर्णय
		मिशन या संकुल संघ से पुनः प्रशिक्षित कर निर्धरित ग्रामो में पात्र समूहों के साथ ग्राम संगठन एवं ऊपर के संघ के गठन एवं प्रशिक्षण के लिए उन की सेवाएँ प्राप्त की जाती है। आन्तरिक पेशेवर सन्दर्भ व्यक्ति (IPRP) की सेवाएँ शुल्क आधारित होती है। अब तक इस प्रकार की सेवाएँ बाह्य आन्तरिक पेशेवर सन्दर्भ व्यक्ति (IPRP)से प्राप्त किया जा रहा है जो बिहार, तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश राज्यों से आते है एवं उन की सेवा शुल्क अधिक होती है एवं उन की उपलब्धता भी अनिश्चित होती है। इंटरनल आन्तरिक पेशेवर सन्दर्भ व्यक्ति (IPRP) की पात्रता, चयन, सेवा शुल्क आदि के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में प्रेषित कम्युनिटी ऑपरेशनल मैन्युअल (COM) में निर्देश प्राप्त है एवं 12वीं शासी निकाय द्वारा अनुमोदित कम्यूनिटी ऑपरेशनल मैनुअल में भी आन्तरिक प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन/आन्तरिक पेशेवर संदर्भ व्यक्ति (IPRP) के पात्रता, चयन, सेवा शुल्क आदि के आधार पर यह नीति तैयार की गयी है। साथ ही इस नीति को 12वीं शासी निकाय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिस पर शासी निकाय द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि भविष्य में आवश्यक्ता पड़ने पर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 की वार्षिक कार्ययोजना में 720 आन्तरिक प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन/आन्तरिक पेशेवर संदर्भ व्यक्ति (IPRP) का चयन करते हुये प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना बनायी गयी है, प्रशिक्षण प्राप्त आई0पी0आर0पी0 द्वारा प्रदेश के 180 इन्टेन्सिव विकास खण्डों में समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ के प्रशिक्षण एवं देख–रेख हेतु सेवायें लिया जाना प्रस्तावित है। संकुल संघ अपने आवश्यकतानुसार आन्तरिक पेशेवर सन्दर्भ व्यक्ति (IPRP)का चयन, प्रशिक्षण, उनके द्वारा सम्पादित कार्यो का अनुश्रवण, उनके सेवा शुल्क का निर्धारण एवं भुगतान करेंगे। 12वीं शासी निकाय द्वारा अनुमोदित मॉडल कम्यूनिटी ऑपरेशनल मैनुअल (COM) में पेशेवर सन्दर्भ व्यक्ति (PRP)का अधिकतम मानदेय रू0 12,000/– प्रतिमाह तक हो सकता है। मिशन द्वारा तैयार की गयी आन्तरिक प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन/आन्तरिक पेशेवर संदर्भ व्यक्ति (IPRP) नीति के अन्तर्गत आन्तरिक प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन/आन्तरिक पेशेवर संदर्भ व्यक्ति (IPRP) अन्तर्गत को दिया जाने वाला मानदेय अनुमोदित मॉडल कम्यूनिटी ऑपरेशनल मैनुअल (COM) में निर्धारित मानदेय की अधिकतम सीमा रू0–12,000 प्रतिमाह के अन्तर्गत है। उल्लेखनीय है कि आन्तरिक प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन/आन्तरिक प्रोफेशनल संदर्भ व्यक्ति (IPRP) पूर्णतः संकुल स्तरीय संघ के स्टाफ होगें एवं इनका मिशन से किसी भी प्रकार का शासकीय एवं अर्धशासकीय सम्बन्ध नही होगा और न ही किसी भी परिस्थिति में यह मिशन के स्टाफ कहलायेगें। **संलग्नक– उपरोक्त के सम्बन्ध में शासी निकाय से आन्तरिक सीनियर कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन एवं आन्तरिक प्रोफेषनल रिसोर्स पर्सन/आन्तरिक पेषेवर संदर्भ व्यक्ति (IPRP) रिसोर्स पर्सन नीति पर अनुमोदन अपेक्षित है।**	
7	भारत सरकार द्वारा Empanelled नेशनल रिसोर्स आर्गेनाईजेशन (जीविका विहार, सर्प तेलागाना एवं	1. भारत सरकार द्वारा Empanelled नेशनल रिसोर्स आर्गेनाईजेशन जीविका बिहार से पूर्व में किये गये 32 रिसोर्स विकास खण्ड के अनुबन्ध को पुनः 01 वर्ष के लिये हस्ताक्षरित किया गया है। उक्त अनुबन्ध शासी निकाय के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है। 17 पार्टनर्शिप विकास खण्डों में सीनियर सी0आर0पी0 के तहत कार्य किये जाने के अनुबन्ध का 01 वर्ष के नवीनीकरण करने की प्रक्रिया चल रही है। शासी निकाय के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित। 2. भारत सरकार द्वारा Empanelled नेशनल रिसोर्स आर्गेनाईजेशन सर्प तेलगांना से पूर्व में किये गये 24 रिसोर्स विकास खण्ड एवं 14 पार्टनर्शिप	समिति अवगत हुई।

क्र0 सं0	एजेण्डा	प्रस्ताव	निर्णय
	सर्प आन्ध्रप्रदेश) एवं मिशन के मध्य मिशन की गतिविधियों को गति प्रदान करने हेतु पूर्व में किये गये अनुबन्धों को 01 वर्ष के लिये पुनः हस्ताक्षरित । सूचनार्थ।	विकास खण्डों के अनुबन्ध को पुनः 01 वर्ष के लिये हस्ताक्षरित किया गया है। उक्त अनुबन्ध शासी निकाय के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है। 3. भारत सरकार द्वारा Empanelled नेशनल रिसोर्स आर्गेनाईजेशन सर्प आन्ध्र प्रदेश से पूर्व में किये गये 14 रिसोर्स विकास खण्डों के अनुबन्ध को पुनः 01 वर्ष के लिये हस्ताक्षरित किया गया है। उक्त अनुबन्ध शासी निकाय के समक्ष सूचनार्थ।	
8	एम0के0एस0पी 0 अन्तर्गत लाइवलीहुड सी0आर0पी0 हेतु भारत सरकार द्वारा Empanelled नेशनल रिसोर्स आर्गेनाईजेशन (जीविका विहार एवं मध्य प्रदेश एस0आर0एल0 एम0) एंव मिशन के मध्य अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया है। सूचनार्थ।	महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्व के भांति जीविका बिहार एवं एम0पी0, एस0आर0एल0एम0 के साथ लाइवलीहुड सी0आर0पी0 एवं पी0आर0पी0 की 01 वर्ष के लिये सेवायें लेने हेतु अनुबन्ध किया गया है। जीविका बिहार से पूर्वी उत्तर प्रदेश 12 जनपद एवं एम0पी0, एस0आर0एल0एम0 में बुन्देलखण्ड के 07 जनपदों में लाइवलीहुड सी0आर0पी0 एवं पी0आर0पी0 की सेवायें ली जायेंगी, सूचनार्थ।	समिति अवगत हुई।
9	भारत सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में नॉन फार्म सेल/मानव संसाधन के चयन का अनुमोदन।	पत्र संख्या -11057/03/2015/NRLM/SVEP/345433 दिनांक 17th Aug. 2018 के द्वारा NRLM की ओर से नॉन फार्म गतिविधियों हेतु एडवाइजरी निर्गत की गयी है– उक्त एडवाइजरी अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में गैर–कृषि क्षेत्र के आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए एस0एच0जी0 सदस्यों के समर्थन हेतु एस0आर0एल0एम0 की संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने की स्पष्ट रणनीति की आवश्यकता बतायी गयी है। इन क्षमताओं को विकसित करने के लिए टेक्निकल एजेंसी एवं कंसल्टेंट्स के अतिरिक्त SRLM को स्वयं की क्षमता वर्धन हेतु मानव संसाधन विकसित करने हेतु सुझाव एवं निर्देश दिए गए है । उक्त एडवाइजरी के माध्यम से मिशन में हो रहे नॉन फार्म से जुड़े सफल प्रयोगों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने हेतु निम्न मानव संसाधन की पदस्थापना किया जाना प्रस्तावित है:–	समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>एजेण्डा</th><th>प्रस्ताव</th><th>निर्णय</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>स्तर</th><th>पद</th><th>संख्या</th></tr>
<tr><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">स्टेट स्तर</td><td>स्टेट मिशन मैनेजर – नॉन फार्म</td><td>1</td></tr>
<tr><td>मिशन मैनेजर – नॉन फार्म</td><td>1</td></tr>
<tr><td>यंग प्रोफेशनल – नॉन फार्म</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>जनपद स्तर</td><td>डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर SVEP*</td><td>6</td></tr>
<tr><td>3</td><td>विकासखंड स्तर</td><td>ब्लाक मिशन मेनेजर – SVEP*</td><td>6 (SVEP विकास खण्ड)</td></tr>
</table>
* जैसे–जैसे SVEP कार्यक्रम का विस्तार इन्टेन्सिव जनपदों एवं विकास खण्डों में किया जायेगा। उसी के सापेक्ष में डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर एवं ब्लाक मिशन मैनेजर का चयन किया जायेगा।
उपरोक्त वर्णित पदों हेतु चयन प्रक्रिया, मानदेय एवं अन्य अनुमन्य भत्ते उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में लागू मानव संसाधन नियमावली अनुरूप होगें। उक्त प्रस्ताव के संबंध में शासी निकाय से अनुमोदन अपेक्षित है ।</td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td>ऐस्पीरेशनल जनपदों में मिशन की गतिविधियों को गति प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा Empanelled नेशनल रिसोर्स आर्गेनाईजेशन से अनुबन्ध किये जाने हेतु अनुमोदन।</td><td>ऐस्पीरेशनल जनपदों एवं मिशन की गतिविधियों को गति प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा इम्पैनल्ड नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन जीविका बिहार से जनपद बलरामपुर सिद्धार्थनगर एवं श्रावस्ती के 02–02 इन्टेन्सिव विकास खण्ड (कुल–06 इन्टेन्सिव विकास खण्ड) में एवं जनपद प्रतापगढ़ के 02 इन्टेन्सिव विकास खण्ड में अनुबन्ध किये जाने हेतु भारत सरकार से अनुमोदनोपरान्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी जीविका बिहार को मिशन के पत्र संख्या D.O. No-1624/1246/MDSRLM/2018 दिनॉक.09/08/2018 द्वारा अवगत करा दिया गया है। शासी निकाय अनुमोदन प्रदान करना चाहें।</td><td>समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</td></tr>
<tr><td>11</td><td>उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के मध्य रिसोर्स सेल के गठन सम्बन्धी एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किये जाना है। सूचनार्थ।</td><td>एन आर एल एम्– रिसोर्स सेल राष्ट्रीय ग्राम्य विकास संस्थान हैदराबाद से प्राप्त निर्देश के क्रम राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब लखनऊ में SIRD-UPSRLM – रिसोर्स सेल का गठन किया जाना प्रस्तावित है।
उक्त सम्बन्ध में मिशन की वार्षिक कार्य योजना रिसोर्स सेल के गठन, उद्देश्य एवं कुल 1 करोड़ का बजट का प्राविधान किया गया है। उ0प्र0 राज्य ग्राम्य विकास संस्थान मुख्य रूप से प्रदेश के नॉन–इन्टेन्सिव विकास खण्ड में स्वयं सहायता समूहों के प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धन का कार्य करेंगा। शासी निकाय को सूचनार्थ।</td><td>सैद्धान्तिक रूप से सहमत होते हुये समिति अवगत हुई।</td></tr>
<tr><td>12</td><td>ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रेषित एवं मिशन</td><td>बिजिनेस कॉरेस्पोंडेंस– सखी (Business Correspondence – sakhi) भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रेषित पत्र संख्या– I-12011/09/2015-RL (C) Dated 30/09/2016 द्वारा बिजिनेस कॉरेस्पोंडेंस सखी (Business Correspondence – sakhi) पालिसी को लागू करने हेतु निर्देशित किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय</td><td>समिति अवगत हुई।</td></tr>
</table>

क्र0 स0	एजेण्डा	प्रस्ताव	निर्णय
	द्वारा अंगीकृत बिजनेस कोरेंसपोंदेंस सखी (बी0सी0 सखी) की पॉलिसी का क्रियान्वयन । सूचनार्थ।	भारत सरकार द्वारा यू.पी.एस.आर.एल.एम. हेतु वित्तीय बर्ष 2018–19 में 200 बी.सी. सखी हेतु लक्ष्य को अनुमोदित किया गया है। बी.सी. सखी, संकुल स्तरीय संघ द्वारा चयनित समूह की ही सदस्य होगी, जिसको संकुल स्तरीय संघ द्वारा चयनित कर बैंक द्वारा नामित तकनिकी सेवा उपलब्ध करवाने वाली संस्था के साथ सम्बद्ध किया जायेगा । बी.सी. सखी द्वारा मिशन अंतर्गत गठित समूह एवं ग्रामीणों के वित्तीय समावेशन तथा बैंकिंग की डोर स्टेप सर्विस उपलब्ध करवाने में मुख्य भूमिका निभायेगी । बी.सी. सखी द्वारा गाँव में ही समूह की बैठक में प्रतिभाग कर समूह के बचत को बचत खाते में जमा करना, समूह को आवश्यकता पड़ने पर धन निकासी की सुबिधा गाँव में ही उपलब्ध करवाएगी। बी सी सखी समूह के सदस्यों एवं ग्रामीणों के बीमा करवाने, व्यक्तिगत बचत खाता खोलने में भी सहयोग करेगी। संकुल स्तरीय संघ द्वारा द्वारा चयनित की जाने वाली बी.सी. सखी को मिशन द्वारा प्रथम 06 हेतु सहयोग राशि रु. 4000 प्रति बी.सी. सखी/प्रति माह प्रदान किया जायेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रेषित बी.सी. सखी पालिसी को उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा अंगीकृत कर लिया गया है।	
13	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रेषित एवं मिशन द्वारा अंगीकृत वित्तीय साक्षरता एवं सामुदायिक स्रोत व्यक्ति की पॉलिसी के क्रियान्वयन । सूचनार्थ।	वित्तीय साक्षरता–सामुदायिक स्रोत्र व्यक्ति (Financial Literacy – Community Resource Person Policy) पालिसी का अनुमोदन– ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रेषित पत्र स. DO-I-12011/12/2012 /SGSY(C) Dated 13-04-2018 द्वारा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के मध्य वित्तीय साक्षरता हेतु एफ0एल0, सी0आर0पी0 पालिसी प्रेषित की गई थी एवं पत्र स. I-12011/08/2017-RL (C) Dated: 19-06-2018 बिषयक– डे–एन.आर.एल.एम. अंतर्गत वित्तीय साक्षरता के क्रियान्वयन एवं वित्तीय साक्षरता–सामुदायिक स्रोत्र व्यक्ति (Financial Literacy – Community Resource Person Policy) पालिसी को लागु करने हेतु निर्देशित किया गया है । भारत सरकार द्वारा यू.पी.एस. आर.एल.एम. हेतु वित्तीय बर्ष 2018–19 में 1800 एफ0एल0, सी0आर0पी0 हेतु लक्ष्य को अनुमोदित किया गया है। प्रथम फेज में मिशन द्वारा 31 जनपदों के 45 विकासखंडो में एफ0एल0, सी0आर0पी0 को लागू किया जायेगा। वित्तीय साक्षरता– सामुदायिक स्रोत्र व्यक्ति (एफ0एल0, सी0आर0पी0), समूह की ही ऐसी सदस्य होगी जो कम से कम कक्षा 10 तक की पढाई की होगी एवं समूह में एस.एच.जी. बुक कीपर एवं सामुदायिक कैडर के रूप में कार्य कर रही होगी। एफ0एल0, सी0आर0पी0 संकुल संघ की कैडर होगी जिनका चयन संकुल सत्रीय संघ द्वारा ही किया जायेगा। एफ0एल0, सी0आर0पी0 द्वारा मिशन अंतर्गत गठित समूह के सदस्यों को बचत के बारे में, निधियो के सही तरीके से उपयोग के बारे में, विभिन्न बीमा योजनाओ (पी.एम. जे.जे.बी.वाई., पी.एम. एस.बी.वाई. आदि) के बारे में, विभिन्न ऋण के बारे में, विभिन्न बैंकिंग तंत्र यथा बिजिनेस कॉरेस्पोंडेंस, जन सुबिधा केंद्र की सेवाओ के बारे में जागरूक किया जायेगा। इन एफ0एल0, सी0आर0पी0 द्वारा एक माह में 9 दिवस कार्य किया जायेगा एवं प्रत्येक दिवस उन्हें रु. 277 मानदेय के रूप में प्रदान किया जायेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रेषित एफ0एल0, सी0आर0पी0 पालिसी को उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा अंगीकृत कर लिया गया है ।	समिति अवगत हुई।
14	भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में मिशन द्वारा तैयार की गयी ग्राम	भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा ग्राम संतृप्तीकरण नीति का निर्माण कर समस्त इन्टेन्सिव जनपदों को पत्रांक–1424/1059/प्रेरणा/एस0एम0/2018–19 दिनॉक 17.7.2018 के माध्यम से उपलब्ध करा दिया गया है। उक्त ग्राम संतृप्तीकरण नीति शासी निकाय के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।	समिति अवगत हुई।

क्र0 सं0	एजेण्डा	प्रस्ताव	निर्णय
	संतृप्तीकरण नीति अवलोकनार्थ प्रस्तुत।		
15	पार्टनर्शिप विकास खण्डों में आर0जी0एम0 वी0पी0 द्वारा प्रोत्साहित सहभागी बी0एल0एफ0 के सुचारु क्रियान्वयन हेतु तैयार की गयी मार्गदर्शिका । सूचनार्थ।	46 पार्टनर्शिप विकास खण्डों में आर0जी0एम0वी0पी0 द्वारा प्रोत्साहित ब्लॉक स्तरीय फेडरेशन के साथ पूर्व में त्रिपक्षीय अनुबन्ध किया गया है। सभी ब्लाक स्तरीय फेडरेशन्स के एन.आर.एल.एम की गतिविधियों के सुचारू क्रियान्वयन हेतु मिशन द्वारा मार्गदर्शिका तैयार की गयी है । बी.एल.एफ. द्वारा मार्गदर्शिका अंतर्गत संकुल संघ के गठन उपरांत बी.एल.एफ. को सी.एल.एफ का कार्य हस्तांतरित करने की प्रक्रिया, बी.एल.एफ की शासी निकाय एवं पदाधिकारियों इत्यादी हेतु मार्गदर्शन, मानव संस्थान की गुणवत्ता का आंकलन एवं निरस्तीकरण तथा प्रोक्योरमेंट आदि प्रक्रियाओं हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। ब्लॉक स्तरीय फेडरेशन्स हेतु तैयार की गयी मार्गदर्शिका पत्रांक–संख्या 1205/367/आजीविका/आर0जी0एम0वी0पी0/2017–18 दिनॉक 18.6.2018 के माध्यम से सम्बन्धित जनपदों को प्रेषित की जा चुकी है। अतः शासी निकाय से सहभागी बी.एल.एफ. के सुचारू क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका सूचनार्थ प्रेषित।	समिति अवगत हुई।
16	46 विकास पार्टनर्शिप विकास खण्डों में आर0जी0एम0 वी0पी0 द्वारा प्रोत्साहित सहभागी बी0एल0एफ0 के साथ वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्य करने हेतु अनुबन्ध का विस्तारीकरण	UPSRLM द्वारा आर.जी.एम.वी.पी. द्वारा प्रोत्साहित पांच पुरानी बी.एल.एफ. का त्रिपक्षीय अनुबंध वित्तीय वर्ष 2013–2014 एवं 41 बी.एल.एफ. का त्रिपक्षीय अनुबंध वित्तीय वर्ष 2015–16 में सम्पादित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2018–19 की मिशन की वार्षिक कार्य योजना में आर.जी.एम.वी.पी. के 46 बी.एल.एफ. के साथ कार्य करना प्रस्तवित किया गया है जिसका अनुमोदन भारत सरकार द्वार प्रदान किया जा चुका है। 46 बी.एल.एफ. के वार्षिक लक्ष्य इस प्रकार है:–	समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
		UPSRLM **Target for Partnership blocks in FY 2018-19** Sr.No. / Indicator / Target 1 / SHG Formation / 10,303 2 / RF Disbursed / 9,936 3 / CIF Disbursed / 9,455 4 / CCL Sanctioned / 6,308 5 / VO formation / 1,601	
		अतः आर.जी.एम.वी.पी. द्वारा प्रोत्साहित 46 बी.एल.एफ के साथ वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्य करने हेतु अनुबंध के विस्तारीकरण का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।	
17	भारत सरकार द्वारा Empanelled Panchayati Raj Institution (PRI) – Communi	Panchayati Raj Institution (PRI) –Community Based Organization (CBO) पर कार्य किये जाने हेतु संयुक्त सचिव ग्राम्य विकास एवं मिशन निदेशक NRLM भारत सरकार की पत्र संख्या J–11060/13/215/RL दिनांक 22 अप्रैल 2016 के माध्यम से ग्राम पंचायतो एवं SHG नेटवर्क्स के बीच सहभागिता की बात कही गयी है । ग्राम पंचायतो एवं SHG नेटवर्क्स के बीच सहभागिता से ग्राम सभा में महिलाओ का प्रतिभाग बढ़ाया जा सकता है जिससे उनकी आवश्यकताओ एवं मुद्दों को आवाज प्रदान की जा सकती है। उक्त अभिसरण के द्वारा समूह की महिलाओ को पंचायती राज द्वारा दी जा रही योजनाओ का भी प्राथमिकता पर लाभ	समिति अवगत हुई।

क्र0 सं0	एजेण्डा	प्रस्ताव	निर्णय
	ty Based Organizat ion (CBO) अभिसरण पर कार्य करने हेतु NRO–कुदुम्ब श्री के साथ अनुबन्ध कर लिया गया है। सूचनार्थ।	उपलब्ध कराया जा सकता है। कुटुम्बश्री NRO निम्न स्तर पर अपना सहियोग प्रदान करेगा। • कार्यान्वयन के लिए गतिविधि योजना बनाना। • सभी हितधारकों तक पहुँचने के लिए संवेदनशीलता अभियान चलाना । • स्थानीय संसाधन समूह' का विकास करना , जिसमें ग्राम पंचायत के अनुसार पांच से सात सदस्य होगे । • पंचायती राज संस्थानों और स्वयं सहायता समूह नेटवर्क को लगातार सहयोग प्रदान करना और राज्य के अन्य स्थान पर परियोजना के विस्तार के लिए आंतरिक सलाहकारों / प्रशिक्षकों को पहचानना और विकसित करना। • ग्राम सभा में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि करना। • ग्राम सभा को मजबूत बनाना । • समुदाय को माइक्रो–प्लान बनाने में सहयोग प्रदान करना । • पीआरआई–सीबीओ अभिसरण के लिए कार्यात्मक प्लेटफार्मों और संस्थागत तंत्र स्थापित करना । • प्रशिक्षण मॉड्यूल, सामग्रियों, आईईसी टूल आदि का विकास करना और उसके उपयोग के लिए क्षमता निर्माण करना । • पीआरआई लीडर्स को स्थानीय विकास योजनाओं जैसे कि मनरेगा, एसबीएम आदि का लाभ समुदाय को कैसे पहुचाया जाये इसमें प्रशिक्षण प्रदान करना । • पीआरआई आधारित कार्य योजना और कार्यक्रम सीमान्तर, विकलांग, विधवा आदि गरीबो के लिए विशेष रूप से डिजाईन किये गए है उनके साथ समुदाय का समन्वय बनाना । • विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना । Performance Review Committee (PRC) की एजेंडा बिंदु 10 का भी अवलोकन करना चाहे जिसके द्वारा भी PRI-CBO अभिसरण पर भारत सरकार द्वारा प्रगति की समीक्षा की जा रही है । उपरोक्त के क्रम में मिशन ने अपनी वार्षिक कार्ययोजना 18–19 में 10 जनपद के एक–एक विकास खंड के 10–10 मिशन अन्त्योदय ग्राम पंचायतो में NRO कुदुम्श्री द्वारा PRI-CBO अभिसरण पर कार्य किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त सहभागिता को मिशन की वार्षिक कार्ययोजना 18–19 का अनुमोदन ग्राम विकास मंत्रालय भारत सरकार की empowered committee द्वारा प्रदान किया जा चुका है। उपरोक्त प्रस्ताव के क्रम में अवगत करना है की कुटुम्बश्री ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा empanelled NRO है। कुटुम्बश्री द्वारा झारखण्ड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान एवं असम SRLM को भी PRI-CBO अभिसरण पर सहयोग प्रदान किया जा रहा है। अतः शासी निकाय को पी0आर0आई0–सी0बी0ओ0 कन्वर्जेन्स पर कार्य करने हेतु एन0आर0ओ0, कुटुम्बश्री के साथ 02 वर्ष का अनुबन्ध कर लिया गया है। सूचनार्थ प्रेषित।	
18	एम0के0एस0पी0 योजनान्तर्गत 58 यंग प्रोफेशनल्स का कैम्पस सेलेक्शन के माध्यम से	महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। उक्त परियोजना का क्रियान्वयन पूर्व में शसी निकाय से अनुमोदन उपरान्त प्रदेश 22 जनपदों के 25 विकास खण्डों में किया जा रहा है। एम0के0एस0पी0 योजना के सफल एवं सूचारू क्रियान्वयन हेतु आवश्यक मानव संसाधन का चयन आयुक्त, ग्राम्य विकास के अनुमोदनोपरान्त कृषि एवं पशुपालन विश्वविद्यलयों से कैम्पस प्लेसमेन्ट के माध्यम से आयुक्त, ग्राम्य विकास महोदय द्वारा अनुमोदित क्रमशः निम्नलिखित कृषि अथवा पशुपालन विश्वविद्यालयों में किया जाना था।	समिति अवगत हुई।

क्र0 स0	एजेण्डा	प्रस्ताव	निर्णय
	मिशन द्वारा चयन । सूचनार्थ।	1- Banaras Hindu University (Institute of Agricultural Sciences) Varanasi 2- Pandit Deendayal Upadhyay Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalya, Mathura 3- Govind Ballabh Pant University of Agriculture & Technology, Pantnagar 4- Chandra Shekhar Azad University of Agriculture & Technology, Kanpur 5- Narendra Deva University of Agriculture & Technology , Kumarganj, Faizabad 6- Chaudhary Charan Singh University- [CCS], Meerut 7- College of Veterniary Sciences and Animal Husbandry, Faizabad इन विश्वविद्यालयों को प्लेसमेन्ट हेतु पत्र भेजा गया था एवं कुल 03 विश्वविद्यालयों ने अपनी सहमति व्यक्ति की जो कि निम्न है। 1- Banaras Hindu University (Institute of Agricultural Sciences) Varanasi 2- Pandit Deendayal Upadhyay Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalya, Mathura 3- Chandra Shekhar Azad University of Agriculture & Technology, Kanpur इन 03 विश्वविद्यालयों से 58 यंग प्रोफेशनल्स का चयन किया गया। उक्त यंग प्रोफेशनल्स के चयन में उ0प्र0, सरकार की आरक्षण नीति लागू करी गयी है। चयन उपरान्त 01 सप्ताह का इमर्शन एवं फील्ड विजिट पूर्ण कर लेने वाले 39 यंग प्रोफेशनल्स को एम0के0एस0पी0 विकास खण्डों में पदस्थ किया गया है। सूचनार्थ प्रेषित।	
19	जनपद बदायु में ऑफिस ऑफ़ डेवलपमेंट कमिश्नर (हेंडीक्राफ्ट), वस्त्र मंत्रालय के माध्यम से संचालित जरी–ज़रदोज़ी परियोजना के विस्तार हेतु 2–3 Young Professionals का NIFT से कैंपस प्लेसमेंट किये जाने हेतु शासी निकाय से अनुमोदन।	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विशेष अभिसरण परियोजना के अंतर्गत ऑफिस ऑफ़ डेवलपमेंट कमिश्नर (हेंडीक्राफ्ट), वस्त्र मंत्रालय (DC-H) के साथ जनपद बदायु में जारी–ज़रदोज़ी के कार्य को बढ़ावा देने हेतु अधिसरण किया गया है। परियोजनान्तर्गत जरी–ज़रदोज़ी की महिला कारीगरों को प्रोड्यूसर ग्रुप में संगठित किया गया है। महिलाओ के (DC-H) के माध्यम से महिलाओ के कारीगर कार्ड तैयार करवाए गए है तथा महिलाओ द्वारा जरी–ज़रदोज़ी के उत्पाद तैयार कर छोटे स्तर पर बरेली के बाज़ार में बेच कर आय अर्जित की जा रही है। इस परियोजना के विस्तार हेतु Young Professional डिजाईन, प्रबंधन एवं मार्केटिंग की आवश्यकता है। मिशन के GB से अनुमोदित HR Manual के अंतर्गत Young Professionals का प्रावधान है। चूकी जारी–ज़रदोज़ी के कार्य के उत्पाद का अधिक मूल्य उनके आकर्षित डिजाईन, कपड़े एवं फैशन ट्रेन्ड पर निर्भर करता है। उचित होगा इन Young Professionals का NIFT से कैंपस प्लेसमेंट करना उचित होगा । अतः NIFT से कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से 02 से 03 यंग प्रोफेशनल को रखे जाने हेतु शासी निकाय से अनुमोदन अपेक्षित है।	समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

क्र0 स0	एजेण्डा	प्रस्ताव	निर्णय
20	वित्तीय वर्ष 2016–17 की संवैधानिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण ।	वित्तीय वर्ष 2016–17 का वैधानिक अंकेक्षण वैधानिक अंकेक्षक फर्म मैसर्स ओ0पी0 तुलस्यान एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट लखनऊ द्वारा पूर्ण कर वित्तीय विवरण एवं ऑडिट रिपोर्ट उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को गत वर्ष 2017–18 में उपलब्ध करायी गयी थी। उक्त वैधानिक अंकेक्षण रिपोर्ट भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रेषित की गयी थी। भारत सरकार द्वारा उक्त को स्वीकार करते हुये वित्तीय वर्ष 2017–18 की केन्द्रीय सहायता भी अवमुक्त की जा चुकी है। अतएव उक्त वित्तीय विवरण एवं रिपोर्ट समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि संवैधानिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कोई वित्तीय विसंगती/अनियमित्ता नही पायी गयी है। उक्त के क्रम में समिति द्वारा अवलोकित किया गया।
21	मिशन एवं नेशनल डेयरी डेवलपमेन्ट बोर्ड के मध्य बुन्देलखंड क्षेत्र में डेयरी के विकास हेतु अनुबन्ध हस्ताक्षरित किये जाने हेतु अनमोदन।	बुन्देलखण्ड के 05 जनपदों कमश बांदा, हमीरपुर, जालौन, चित्रकूट एवं महोबा में 05 वर्ष में 48,000 महिला किसानों के साथ महिला दुग्ध उत्पादक कम्पनी बनाया जाना प्रस्तावित है। इस योजनान्तर्गत 43.58 करोड़ रू0 (केन्द्रांश –26.15 एवं राज्यांश –17.43) का बजट है। भारत सरकार द्वारा इस कार्ययोजना को अपने पत्र संख्या–के0–11034/04/2018/MKSP/EC दिनॉक 17 मई 2018 को इम्पावर्ड कमेटी की बैठक कर अनुमोदन दिया जा चुका है। इस योजना का क्रियान्वयन एन0एम0एम0यू0, एन0आर0एल0एम0 द्वारा इम्पैनल्ड एन0एस0ओ0, नेशनल डेयरी डेवलपमेन्ट बोर्ड डेयरी सर्विसेज (एन0डी0एस0) के सहयोग से किया जाना प्रस्तावित है। एन0डी0एस0 एवं यू0पी0एस0आर0एल0एम0 के मध्य 03 वर्ष के लिये अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने हेतु शासी निकाय से अनुमोदन अपेक्षित है।	समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया साथ ही निर्देशित किया गया कि नेशनल डेयरी डेवलपमेन्ट बोर्ड को अवगत कराया जाये कि उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दे जहाँ प्रादेशिक कोआरपेटिव डेयरी फेडरेशन (पी0सी0डी0एफ0) की गतिविधिया नगण्य है।
22	उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्व में सृजित कम्युनिटी कोआर्डिनेटर के पदों को समाप्त करने हेतु अनुमोदन। यथा आवश्यकता पर तद्समय विचार किया जायेगा।	उ0प्र0 शासन के ग्राम्य विकास अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2–69/अड़तीस–6–15–32 एसजीएसवाई/2010 लखनऊ दिनांक 15.01.2015 के माध्यम से प्रदेश के कुल 822 विकास खण्डों हेतु प्रति विकासखण्ड 02 पद की दर से कुल 1644 कम्युनिटी कोआर्डिनेटर के अस्थायी पदों का सृजन किया गया था। उक्त पदों पर नियुक्ति सेवा प्रदाता के माध्यम से की जानी थी। परन्तु विभिन्न कारणों से आज दिनांक तक इन पदों पर नियुक्ति नहीं की जा सकी है। वर्तमान में मिशन का विस्तार 250 विकास खण्डों में किया जा चुका है एवं मिशन द्वारा महिलाओं को ससक्त बनाने हेतु विभिन्न कम्युनिटी कैडर भी विकसित किये जा चुकें है, जैसेः– समूह सखी, कृषी सखी, पशु संखी, बैंक सखी, मास्टर बुक कीपर, आई0सी0आर0पी0 एवं आई0पी0आर0पी0 आदि। अतः शासी निकाय के समक्ष यह प्रस्ताव है कि कम्युनिटी कोआर्डिनेटर के स्थान पर एन0आर0एल0एम अन्तर्गत गठित सामुदायिक संस्थाओं के महिलाओं का चयन आई0पी0आर0पी0 के रूप में कर कें संकुल संघ के माध्यम से कार्य लिया जायें एवं महिलाओं को मुख्य धारा में सम्मलित करने का अवसर भी प्रदान किया जा सकेंगा। शासी निकाय समिति कम्युनिटी कोआर्डिनेटर के पद कों समाप्त करनें का निर्णय लेना चाहें।	समिति द्वारा सृजित कम्युनिटी कोआर्डिनेटर के पदों को स्थगित करने का निर्देश दिया गया।

क्र0 सं0	एजेण्डा	प्रस्ताव	निर्णय
23	वर्तमान में मिशन अन्तर्गत मुख्यालय हेतु नई भर्तियॉं प्रक्रिया में हैं। नये स्टाफ के बैठने हेतु अतिरिक्त कार्यालय किराये पर लिये जाने का अनुमोदन।	कृपया शासन के आदेश संख्या–427/38–6–15 20 (एस0आर0एल0एम0)/14 टी0सी0 दिनॉक 15 अप्रैल 2018 द्वारा लखनऊ में यू0पी0एस0आर0एल0एम0 कार्यालय हेतु अवस्थापना सुविधा आदि के सम्बन्ध में स्वीकृति प्रदान की गयी जिसका कार्योत्तर अनुमोदन उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की 13वीं शासी निकाय की बैठक दिनॉक 04.12.2017 की बैठक में प्राप्त किया गया। कार्यालय स्थान हेतु दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराकर नियमानुसार कार्यवाही करायी गयी। वर्तमान समय में नई भर्तियों की कार्यवाही की जा रही है जिसमें 35 से 40 कर्मियों के लगभग 200 से 250 स्कावयर फिट बैठने के स्थान की आवश्यक्ता होगी। कार्यालय हेतु अतिरिक्त स्थान के लिये नियमानुसार दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराकर प्रस्ताव प्राप्त कर लिये गये है, जिसमें संस्थागत भवन भूमि सुधार निगम, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ से जिलाधिकारी, लखनऊ के कार्यालय किराया सर्किल रेट के अनुसार किराये पर कार्यालय हेतु स्थान लिये जाने की नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। भवन किराया, फर्नीचर, कार्यालय उपकरण एवं अन्य आवश्यक अवस्थापना सुविधा पर होने वाला व्यय यू0पी0एस0आर0एल0एम0 के प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल के अनुसार यू0पी0एस0आर0एल0एम0 के वार्षिक एक्शन प्लान 2018–19 में स्वीकृत बजट के अनुरूप नियमानुसार व्यय किये जाने का अनुमोदन प्रदान करना चाहें।	समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

उपरोक्त के साथ ही बैठक में निर्देश दिये गये कि SHGs को विभिन्न शासकीय कार्यक्रमों से एसोसियेट किया जाये, ताकि उनके आर्थिक किय्रा–कलापों में वृद्धि हो सकें। विभिन्न शासकीय कार्यक्रमों/शासकीय आपूर्ति यथा–बेसिक शिक्षा विभाग में यूनिफार्म/स्वेटर की आपूर्ति, विद्यालयों में मिड–डे मील का संचालन, कृषि विभाग की योजनाओं में बीज आपूर्ति/कस्टम हायरिंग, एग्रीजंक्शन आदि में SHGs का उपयोग किया जाए। SHGs तथा SFC में कैसे बेहतर तालमेल हो सके इस बात पर विचार किये जाने की आवश्यकता है।

यह अपेक्षा की गयी कि SHGs के क्रिया–कलापों में Diversification तथा इनकी विभिन्न सरकारी योजनाओं में सम्मिलित किये जाने हेतु विचार किया जाये।

(डॉ0 प्रभात कुमार)
कृषि उत्पादन आयुक्त/अध्यक्ष,
उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन,
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्रांकः–3680/1259/आजीविका/2018–19 लखनऊ, दिनांकः–26, नवम्बर, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
4. समस्त सदस्य, शासी निकाय, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन।
5. गार्ड फाइल।

(नागेन्द्र प्रसाद सिंह)
मिशन निदेशक
उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।